झारखण्ड विधान-सभा

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

प्रस्तावना ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, (अधिनियम 2, 1974) की धारा 167(2) का संशोधन ।

दण्ड प्रकिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में लागू होने की सीमा तक दंड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) को पुनः संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

   (1) यह अधिनियम दंड प्रकिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

   (3) यह राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. धारा 167 का संशोधन :– दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) में, झारखण्ड राज्य में इसके अनुप्रयोग में :–

   (1) खण्ड (ख) में शब्द "समक्ष" एवं "पेश" के बीच निम्नलिखित अंश अन्तः स्थापित किये जायेंगे –

   "सशरीर या इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से"

   (2) खण्ड (ख) के पश्चात् एक परन्तुक जोडा जायगा, यथा – "परन्तु कोई व्यक्ति अभिरक्षा में बिना उसकी सशरीर पेशी के, यदि वह पुलिस अभिरक्षा में हो, प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकेगा।"

   (3) धारा 167 के ही अधोभाग में अंकित "स्पष्टीरण"–II में शब्द "समक्ष" एवं "पेश" के बीच निम्नलिखित अंश अन्तःस्थापित किये जायेंगे –

   "सशरीर या यथास्थित इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से"

यह विधेयक दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2006 दिनांक 22 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०)30--50--22-8-2006 ।